

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय म.प्र.राजस्व मंडल ग्वालियर कैप भोपाल
निगरानी क्र...../14 R. 3960 - १८/१५

मनोज आ.श्री मोहनलाल यादव आयु वयस्क
निवासी-यादव मोहल्ला कस्बा सीहोर निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. श्रीमती सुरेखा मालवीय पत्नी अजय मालवीय आयु वयस्क,
जाति कलार, निवासी-आफिसर्स कालोनी सीहोर जिला-सीहोर
2. लीलाधर आ.इमरतलाल आयु वयस्क
निवासी ग्राम जहांगीरपुरा, तह.व जिला-सीहोर
3. श्रीमती गीता यादव पत्नी स्व.श्री मोहन उर्फ मटरु यादव
4. मनीष आ.स्व.श्री मोहन उर्फ मटरु यादव
क्र.3 व 4 निवासी-कस्बा सीहोर,
तहसील व जिला-सीहोर म.प्र. प्रतिनिगरानीकर्ता

130
क्रमी. क्र. भवान्हरु
निवासी इमरतलाल यादव
दृ २५/११/१५ कोश्युरा।


निगरानी अंतर्गत धारा 50 माप्रभूरासं, 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 12/04/2013 जो प्रकरण क्र.
1/अपील/2011-12 में अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
अधिकारी सीहोर म.प्र. द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुबत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/३१६०/मा/५, सीहोर

अनेज | श्रीमती द्वार्ता

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---------------------|--|--|
| 20/12/18 | <p>आवेदक की ओर से श्री <u>ल्ही. के. श्रीवाईत्</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुबिभागीय अधिकारी <u>सीहोर</u> के प्रकरण क्रमांक ०१/अपील/११-२ में पारित आदेश दिनांक १२/०४/१३ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीहोर</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक ०८/०५/१९ को कलेक्टर जिला <u>सीहोर</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>  | |